



न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

(1) अपील डिक्री / टी.ए. / 5907 / 2003 / चित्तौडगढ

- 1- सुन्दर पत्नि शंकर सुथार
 - 2- देवीकिशन पुत्र शंकर सुथार
 - 3- शांतिलाल पुत्र शंकर सुथार
 - 4- चांदी पुत्री शंकर सुथार
 - 5- पुष्पा पुत्री शंकर सुथार
- समस्त निवासी पावटिया, तहसील चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ।

.....अपीलान्टस

बनाम

- 1- प्यारा पुत्र जयराम सुथार (मृतक) जरिये वारिसान :-
 - 1/1- सोहन पुत्र प्यारा सुथार निवासी पावटिया, तहसील चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ।
- 2- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चित्तौडगढ।

.....रेस्पोन्डेन्टस

(2) अपील डिक्री / टी.ए. / 5930 / 2003 / चित्तौडगढ

- 1- सुन्दर पत्नि शंकर सुथार
 - 2- देवीकिशन पुत्र शंकर सुथार
 - 3- शांतिलाल पुत्र शंकर सुथार
 - 4- चांदी पुत्री शंकर सुथार
 - 5- पुष्पा पुत्री शंकर सुथार
- समस्त निवासी पावटिया, तहसील चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ।

.....अपीलान्टस

बनाम

- 1- प्यारा पुत्र जयराम सुथार (मृतक) जरिये वारिसान :-
 - 1/1- सोहन पुत्र प्यारा सुथार निवासी पावटिया, तहसील चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ।
- 2- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चित्तौडगढ।

.....रेस्पोन्डेन्टस

1- अपील डिक्री / टी.ए. / 5907 / 2003 / चित्तौडगढ
सुन्दर आदि बनाम प्यारा आदि

2- अपील डिक्री / टी.ए. / 5930 / 2003 / चित्तौडगढ
सुन्दर आदि बनाम प्यारा आदि

खण्ड-पीठ

श्री विजय कुमार सोनी, सदस्य
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थित:

श्री पूर्णाशंकर दशोरा, अभिभाषक अपीलान्ट
श्री के. के. पुरोहित, अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट

दिनांक : 30 मई, 2018

निर्णय

1- उपरोक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा-224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ द्वारा अपील संख्या-163/93 शीर्षक शंकर बनाम प्यारा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16-12-1994 तथा अपील संख्या-15/03 शीर्षक शंकर पुत्र कालू मृतक जरिये वारिसान बनाम प्यारा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29-9-2003 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2- अपील संख्या-5907/03/टी.ए./चित्तौडगढ, शीर्षक सुन्दर बनाम प्यारा के संक्षिप्त तथ्य :-

इस अपील के संक्षिप्त तथ्यानुसार वादी / वर्तमान रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 प्यारा ने एक दावा संख्या-106/87 अन्तर्गत धारा-53 राजस्थान काश्कारी अधिनियम, शीर्षक प्यारा बनाम शंकर, न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, चित्तौडगढ के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि दावा के पैरा संख्या-1 में वर्णित कुल किता 9 कुल रकबा 3.59 हेक्टेयर वादी / रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 तथा प्रतिवादी संख्या-1 / वर्तमान अपीलान्टस के पति / पिता शंकर का निस्फ हिस्सा अर्थात् प्रत्येक का 1/2, 1/2 हिस्सा के सह-काश्तकार हैं। इसलिये भूमि का विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। इस दावे का प्रतिवादी संख्या-1 / वर्तमान अपीलान्टस ने जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दावा के पैरा संख्या-1 में वर्णित भूमि केवल प्रतिवादी संख्या-1 की खातेदारी भूमि है। इस भूमि में वादी का कोई हक व अधिकार नहीं है। इस जवाबदावा की मजीद जवाब में निवेदन किया गया कि दावा के पैरा संख्या-1 में वर्णित सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादी संख्या-1 को खातेदार घोषित किया जावे एवं उसके पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। दावा एवं जवाबदावा के आधार पर विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा दो तनकी बनाई गई। दावा के जैरकार रहते प्रतिवादी

1- अपील डिक्री / टी.ए. / 5907 / 2003 / चित्तौडगढ
सुन्दर आदि बनाम प्यारा आदि

2- अपील डिक्री / टी.ए. / 5930 / 2003 / चित्तौडगढ
सुन्दर आदि बनाम प्यारा आदि

संख्या-1 के अभिभाषक द्वारा दिनांक 12-4-1993 को **No Instruction Plead** किया गया। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 12-4-1993 को वादी / रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 की एकपक्षीय बहस सुनकर दावा स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री पारित कर भू अभिलेख निरीक्षक गोसुन्डा को कमिशनर नियुक्त कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने के आदेश पारित किये गये। विद्वान उप खण्ड अधिकारी, चित्तौडगढ के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12-4-1993 के विरुद्ध प्रतिवादी / अपीलान्टस ने प्रथम अपील संख्या-163/93 शीर्षक शंकर बनाम प्यारा, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ के समक्ष प्रस्तुत की। विद्वान अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16-12-1994 के द्वारा अपील को खारिज कर दिया। यहां स्पष्ट करना उचित होगा कि विद्वान उप खण्ड अधिकारी, चित्तौडगढ के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12-4-1993 के विरुद्ध प्रतिवादी / वर्तमान अपीलान्टस ने विद्वान उप खण्ड अधिकारी, चित्तौडगढ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र आदेश-9 नियम-7 व 13 सी.पी.सी. दिनांक 15-6-1993 को प्रस्तुत कर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12-4-1993 को निरस्त करने का निवेदन किया। विद्वान उप खण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 23-2-1996 के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश-9 नियम-13 सी.पी.सी. इस आधार पर खारिज कर दिया कि विद्वान उप खण्ड अधिकारी, चित्तौडगढ के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12-4-1993 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या-163/93 को विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16-12-1994 के द्वारा निरस्त कर दी है। विद्वान उप खण्ड अधिकारी, चित्तौडगढ के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12-4-1993 तथा विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16-12-1994 के विरुद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 11-12-2003 को प्रस्तुत की गयी है।

3- अपील संख्या-5930/03/टी.ए./चित्तौडगढ, शीर्षक सुन्दर बनाम प्यारा के संक्षिप्त तथ्य :-

इस अपील के संक्षिप्त तथ्यानुसार विद्वान उप खण्ड अधिकारी, चित्तौडगढ के समक्ष जैरकार दावा संख्या-106/87 में दिनांक 12-4-1993 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर भू अभिलेख निरीक्षक से विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने के आदेश दिये गये। यह दावा दिनांक 20-2-1997 को वादी की अनुपस्थिती के कारण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। वादी / रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 ने एक बाजदायरी प्रार्थना पत्र संख्या-18/97 न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, चित्तौडगढ के समक्ष प्रस्तुत किया। विद्वान उप खण्ड अधिकारी, चित्तौडगढ

1- अपील डिक्री / टी.ए. / 5907 / 2003 / चित्तौडगढ
सुन्दर आदि बनाम प्यारा आदि

2- अपील डिक्री / टी.ए. / 5930 / 2003 / चित्तौडगढ
सुन्दर आदि बनाम प्यारा आदि

ने अपने निर्णय दिनांक 19-8-1997 के द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपना पूर्व प्रसारित निर्णय दिनांक 20-2-1997 निरस्त कर दावा को पुनः नम्बर पर लिया। दावा को पुनः नम्बर पर लेने के पश्चात दावा प्रकरण संख्या-139/97 पर दर्ज किया गया। विद्वान उप खण्ड अधिकारी, चित्तौडगढ ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31-12-2002 के द्वारा दावा को स्वीकार कर दावा में अन्तिम डिक्री पारित कर दी। विद्वान उप खण्ड अधिकारी, चित्तौडगढ के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31-12-2002 के विरुद्ध प्रतिवादी / अपीलान्टस द्वारा प्रथम अपील संख्या-15/03 शीर्षक शंकर पुत्र कालू मृतक जरिये वारिसान बनाम प्यारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ के समक्ष प्रस्तुत की गयी। विद्वान अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29-9-2003 के द्वारा अपील को खारिज कर दिया। विद्वान उप खण्ड अधिकारी, चित्तौडगढ के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31-12-2002 तथा विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29-9-2003 से व्यथित होकर प्रतिवादी / अपीलान्टस द्वारा वर्तमान अपील इस न्यायालय के समक्ष समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

4- दोनों अपीलों में पक्षकार, विवादित भूमि तथा विवाद बिन्दू एक समान होने के कारण दोनों अपीलों को एकल निर्णय से निर्णित किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों अपीलों के साथ संलग्न की जावे।

5- उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

6- दोनों अपीलों के अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक की मुख्य बहस यह है कि दावा संख्या-163/93 नया नम्बर-139/97 में अंकित विवादित भूमि वादी / रेस्पोंडेन्ट की भूमि नहीं थी। सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या-1 / अपीलान्टस की भूमि थी। विद्वान उप खण्ड अधिकारी ने विवादग्रस्त भूमि वादी तथा प्रतिवादी दोनों ही 1/2, 1/2 हिस्सा मानकर भूमि विभाजन करने की प्राथमिक डिक्री पारित करने में गलती की है। विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार से नहीं मंगवाये जाकर भू अभिलेख निरीक्षक से मंगवाये गये है। **R.R.D. 2017 Page-679 (L.B.)** के मुताबिक विभाजन प्रस्ताव केवल तहसीलदार ही प्रेषित करने में सक्षम है। विद्वान उप खण्ड अधिकारी, चित्तौडगढ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12-4-1993 एकपक्षीय तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पारित किये गये हैं। प्राथमिक डिक्री से पूर्व ही प्रतिवादी / अपीलान्टस के अभिभाषक द्वारा **No Instruction Plead** कर दिया गया था। **No Instruction Plead** होने के पश्चात न्यायालय को सम्बन्धित पक्षकार को नोटिस भेजा जाना चाहिये

1- अपील डिक्री / टी.ए. / 5907 / 2003 / चित्तौडगढ
सुन्दर आदि बनाम प्यारा आदि

2- अपील डिक्री / टी.ए. / 5930 / 2003 / चित्तौडगढ
सुन्दर आदि बनाम प्यारा आदि

था। नोटिस नहीं भेजकर एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री पारित करने में विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा त्रुटि की गयी है। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने **R.R.D. 1994 Page-172, R.L.W. 1998 Page-1071, A.I.R. 1998 (S.C.) Page-258, R.L.W. 2013(RJ)(2) Page-713 (H.C.)** एवं **Page-935** न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये। इसलिये दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जावें।

7- इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट की मुख्य बहस यह है कि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के समक्ष वादी / रेस्पोंडेन्ट द्वारा दावा अन्तर्गत धारा-53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम भूमि के विभाजन हेतु प्रस्तुत किया गया था। दावा प्रस्तुत करने की दिनांक को दावा में वर्णित भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी तथा प्रतिवादी बहिस्सा बराबर अर्थात् 1/2, 1/2 हिस्सा के सह-काश्तकार थे। सह-काश्तकार अपनी भूमि का विभाजन करवाने का अधिकार रखते हैं। प्रतिवादी / अपीलान्ट ने अपने जवाबदावा के साथ ऐसा कोई भी आधार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया तथा ना ही कोई ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत की, जिससे यह साबित होता हो कि दावा में वर्णित भूमि के खातेदार अकेले केवल प्रतिवादी / अपीलान्ट है। दावा एवं जवाबदावा के आधार पर अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा दो तनकी बनाई गई। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी अनुसार निर्णय करते हुये वादी / रेस्पोंडेन्ट का दावा स्वीकार कर प्राथमिक एवं अन्तिम डिक्री पारित की, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। विद्वान उप खण्ड अधिकारी, चित्तौडगढ के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12-4-1993 के विरुद्ध प्रतिवादी / रेस्पोंडेन्ट ने प्रथम अपील संख्या-163/93 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ के समक्ष प्रस्तुत की। विद्वान अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 16-12-1994 के द्वारा अपील को खारिज कर दिया। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ के निर्णय दिनांक 16-12-1994 के विरुद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 11-12-2003 को प्रस्तुत की गयी है जो निर्धारित समयावधि के पश्चात प्रस्तुत की गयी है। अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 अवधि अधिनियम में ऐसा कोई भी आधार अंकित नहीं किया गया है जिसे अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ करने का समुचित आधार कहा जा सके। अपील निर्धारित समयावधि के पश्चात प्रस्तुत होने के कारण मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य है। जहां तक भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने का बिन्दू है तो भूमि विभाजन प्रस्ताव न्यायालय किसी भी अधिकारी को कमिशनर नियुक्त कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जा सकते हैं। दोनों ही अपीलों में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय एवं डिक्री प्रतिवादी / वर्तमान अपीलान्ट के विरुद्ध है। धारा-224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का क्षेत्र एक सीमित क्षेत्र है।

1- अपील डिक्री / टी.ए. / 5907 / 2003 / चित्तौडगढ
सुन्दर आदि बनाम प्यारा आदि

2- अपील डिक्री / टी.ए. / 5930 / 2003 / चित्तौडगढ
सुन्दर आदि बनाम प्यारा आदि

समवर्ती निर्णयों में द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। इसलिये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8- उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी, बहस पर मनन किया गया तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली का अवलोकन किया गया

9- अपील संख्या-5907/03 का निर्णय :-

9/1 विद्वान उप खण्ड अधिकारी, चित्तौडगढ ने वादी / वर्तमान रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 के द्वारा प्रस्तुत दावा संख्या-106/87 अन्तर्गत धारा-53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12-4-1993 के द्वारा स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री पारित कर दी। निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12-4-1993 के विरुद्ध प्रतिवादी / वर्तमान अपीलान्ट्स द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश-9 नियम-13 सी.पी.सी. का प्रस्तुत किया गया। विद्वान उप खण्ड अधिकारी, चित्तौडगढ ने अपने निर्णय दिनांक 23-2-1996 के द्वारा प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12-4-1993 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या-163/93 शीर्षक शंकर बनाम प्यारा विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16-12-1994 के द्वारा खारिज कर दी। वर्तमान अपील को निर्णित करने से पूर्व सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू को निर्णित किया जाना आवश्यक है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16-12-1994 के विरुद्ध प्रतिवादी / अपीलान्ट्स द्वारा इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील दिनांक 11-12-2003 को प्रस्तुत की गयी है। धारा-228(3) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपील प्रस्तुत करने की समयावधि 90 दिवस है। अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 अवधि अधिनियम का अवलोकन किया गया। इस प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया गया है कि प्रतिवादी / प्रार्थी वर्ष 1992 से पूर्व से मानसिक रूप से बीमार था तथा उसकी मृत्यु हो गयी। प्रार्थना पत्र में मृत्यु की कोई दिनांक, वर्ष अंकित नहीं है। इस बिन्दू पर कोई विवाद नहीं है कि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16-12-1994 पारित किया गया था, उस समय प्रतिवादी / वर्तमान अपीलान्ट शंकर जीवित था। शंकर ने अपने जीवनकाल में कोई अपील प्रस्तुत नहीं की। प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई भी आधार अंकित नहीं किया गया है जिसे अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किये जाने का समुचित आधार कहा जा सके। इस बिन्दू पर कोई विवाद नहीं है कि

1- अपील डिक्री / टी.ए. / 5907 / 2003 / चित्तौडगढ
सुन्दर आदि बनाम प्यारा आदि

2- अपील डिक्री / टी.ए. / 5930 / 2003 / चित्तौडगढ
सुन्दर आदि बनाम प्यारा आदि

मियाद के बिन्दू को निर्णित करते समय न्यायालय को लचीला रुख अपनाना चाहिये, परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जो पक्षकार स्वयं लापरवाही से अपील प्रस्तुत करने में देरी करें। उसे इस लचीलापन का फायदा दिया जा सके। **A.I.R. 1998 (S.C.) Page-2276** न्यायिक दृष्टान्त पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णित किया है कि मियाद के बिन्दू को कठोरता से लागू किया जाना चाहिये।

A.I.R. 1998 (S.C.) Page-2276

(C)Limitation Act (36 of 1963), S. 5 - Delay - Condonation of - Law of limitation has to be applied with all its rigour prescribed by statute - Courts have no power to extend period of limitation on equitable grounds.

9/2- वर्तमान अपील में अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 अवधि अधिनियम में ऐसा कोई भी समुचित कारण अंकित नहीं किया गया है जिसके आधार पर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जा सके। **फलस्वरूप** प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 अवधि अधिनियम खारिज किया जाता है तथा इसके प्रकाश में अपील संख्या-5907/03 को भी खारिज किया जाता है।

10- **अपील संख्या-5930/03 का निर्णय :-**

10/1 विद्वान उप खण्ड अधिकारी, चित्तौडगढ ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12-4-1993 के द्वारा दावा संख्या-106/87 में प्राथमिक डिक्री पारित कर भू अभिलेख निरीक्षक गोसुन्डा को कमिशनर नियुक्त कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने के आदेश पारित किये। निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12-4-1993 की पालना में विद्वान उप खण्ड अधिकारी, चित्तौडगढ ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31-12-2002 को अन्तिम डिक्री पारित कर दी। विद्वान उप खण्ड अधिकारी, चित्तौडगढ के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31-12-2002 के विरुद्ध प्रतिवादी / अपीलान्टस द्वारा प्रथम अपील संख्या-15/03 शीर्षक शंकर बनाम प्यारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ के समक्ष प्रस्तुत की गयी। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29-3-2003 के द्वारा अपील को खारिज कर दिया। इस अपील का मुख्य विवाद बिन्दू यह

1- अपील डिक्री / टी.ए. / 5907 / 2003 / चित्तौडगढ
सुन्दर आदि बनाम प्यारा आदि

2- अपील डिक्री / टी.ए. / 5930 / 2003 / चित्तौडगढ
सुन्दर आदि बनाम प्यारा आदि

है कि क्या भू अभिलेख निरीक्षक से भूमि विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जा सकते है अथवा नहीं। राजस्व मण्डल की वृहद-पीठ द्वारा पारित **R.R.D. 2017 Page7679** के अनुसार विभाजन प्रस्ताव केवल तहसीलदार से ही मंगवाये जा सकते हैं। वृहद-पीठ के निर्णयानुसार यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29-9-2003 तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी, चित्तौडगढ का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31-12-2002 निरस्त कर प्रकरण न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, चित्तौडगढ को प्रतिप्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि **R.R.D. 2017 Page-679 (L.B.)** के निर्णयानुसार संबंधित तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर प्रकरण में अंतिम डिक्री उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पारित करें। उभयपक्ष इस निर्णय की प्रमाणित प्रति लेकर न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, चित्तौडगढ के समक्ष दिनांक 03-7-2018 को उपस्थित होंगे। न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, चित्तौडगढ दिनांक 03-7-2018 से आगामी तीन माह के अन्दर प्रकरण को आवश्यक रूप से निर्णित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(विजय कुमार सोनी)
सदस्य

1- अपील डिक्री / टी.ए. / 5907 / 2003 / चित्तौडगढ
सुन्दर आदि बनाम प्यारा आदि

2- अपील डिक्री / टी.ए. / 5930 / 2003 / चित्तौडगढ
सुन्दर आदि बनाम प्यारा आदि